राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– प4(ई)(1)(6)एसीपी / अलेसे–III / 1994 / 52441 दिनांक :–25/02/2020

आदेश संख्या :–18

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त(नियम) / 2008 / दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11 (7)वित्त (नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008–I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड 2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4800 / – स्वीकृत की जाती है।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री बंशीधर जाट	495 / 81	10.09.1982	10.09.2009	विभागीय आदेश संख्या 284 / 2017–18 दिनांक 10.01.2018 के द्वारा श्री बंशीधर जाट की निलम्बन अवधि (दिनांक 25.11.1999 से 22.05.2006 तक) एवं बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 23.05.2006 से 30.05.2017 तक) को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए वेतन एवं भतों तथा पेंशनरी परिलाभों हेतु स्वीकृति जारी की गई है।

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं हैं।
5. गत 7 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।
6. तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि तक सेवा सत्यापन कर दिया गया है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– प4(ई)(1)(6)एसीपी / अलेसे–III / 1994 / 52441 दिनांकः–25/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. संबंधित विभागध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित / निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–III)